

26 $\frac{11}{25}$

पशावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब प्रा०पत्र 07 R 11 जा०दी० दिनांक - 3/12/2025 को पेश है।

3 $\frac{12}{25}$

पत्रावली पेश। जवाब प्रा०पत्र 07 R 11 जा०दी० का वकील वादी ने पेश किया, नकल वकील प्रतिवादी दिलाई जाकर शा०मिसल किया गया। बहुत प्रा०पत्र पर वकील पक्षकारान् खुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०पत्र 07 R 11 जा०दी० दिनांक - 8/12/2025 को पेश है।

8 $\frac{12}{25}$

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० पर दौराने बहस कथन किया कि वादी ने हमें रजिस्टर्ड बेचाननामें से भूमियाँ विक्रय की है। उक्त भूमियाँ हमारी संयुक्त थी परन्तु वादी के नाम खातेदारी में हो जाने से उनके द्वारा हमारे हिस्से की भूमियाँ हमारे नाम विक्रय पत्र से कर दी है। विक्रय पत्र में बेचान की गई भूमि की चर्तुसीमा का अंकन है इस कारण है वादी व प्रतिवादी के मध्य हिस्से के निर्धारण का वाद पोषणीय नहीं है। उनके द्वारा किया गया विक्रय पत्र यदि गलत है तो उसको सिविल न्यायालय में पेश करना चाहिए, राजस्व न्यायालय में यह वाद चलने योग्य नहीं है। इनके द्वारा बेचाननामे के एक साल बाद यह वाद पेश किया है। विक्रय पत्र में चर्तुसीमाकन निश्चित होने पर बंटवारे का वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। इनके द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त करने/नहीं करने बाबत कोई आपत्ति वादपत्र में अंकित नहीं की है। वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज किया जाता है।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या-1) के तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थी (वादी) ने कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 जा० दी० का निर्धारण तीन बिन्दुओं पर होता है- 1. वाद हेतु प्रकट नहीं करना, 2-कोर्ट फीस का अभाव होना, 3-विधि द्वारा वर्जित होना। हमारा वाद बंटवारे व निषेधाज्ञा का है, जो कि विधि द्वारा वर्जित नहीं है। हमारे वाद का निर्धारण तनकी कायम होने के बाद साक्ष्य पेश करने के उपरांत होना है। इन्होंने बेचाननामे में चर्तुसीमा का

अपरमंड अधिकारी
दिल्ली

तारीख
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अंकन होना बताया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में विशिष्ट भू-भाग का बैचान नहीं होकर हिस्से का बैचान होता है। बैचाननामें उक्त अंकन गलत है। विवादित भूमि का इंतकाल चर्तुसीमा के आधार पर नहीं खुला है और न ही राजस्व नक्शे में चर्तुसीमा अनुसार अंकन है। एक ही भूमि के संबंध में अलग-अलग वाद अलग-2 न्यायालयों में पेश हो सकते हैं, अलबता अनुतोष अलग-अलग हो प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारी फरमाया जावे।

खण्डन में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने कथन किया कि दस्तावेज विलम्ब तक वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। इन्होंने कोई लीगल दस्तावेज पेश नहीं किया है। विक्रय पत्र के अनुसार हम मौके पर काबिज काशत है। इनके द्वारा इनकी स्वयं की खातेदारी भूमि में से ही विक्रय पत्र में अंकितानुसार भूमियाँ हमें बैचान की है उसी के अनुसार काबिज काशत है यदि इनके द्वारा किया गया बैचान गलत है तो उसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है इनका वाद इस न्यायालय पोषणीय/चलने योग्य नहीं है। वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज किया जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। वादी द्वारा वादपत्र विवादित भूमि खसरा नम्बर 728/57 ग्राम डाबला पटवार मण्डल अणदगंज के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 में मध्य बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया है। वादी ने अपने वादपत्र में दिनांक 08.05.2023 को हुए इकरारनामें के अनुसार भूमि वादी को बैचान किया जाना अंकित किया है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि का सहखातेदार अंकित हुआ है। वादी ने वादपत्र में बिना बंटवारे के भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्माण करना बताते हुए बिना बंटवारे व विवादित भूमि में अपना हिस्सा तय करवाये बिना निर्माण नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा चाही गई है।

वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 की प्रति अनुसार वादी सीताराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि खसरा संख्या 728/57 ग्राम डाबला प0म0 अणदगंज में से रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि बैचान की है, जिसमें विवादित भूमि की चर्तुसीमा स्पष्ट रूप से अंकित है साथ ही उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 0004/2025 दिनांक:-03.01.2025 थाना दबलाना में प्रतिवादी ने वादी द्वारा बैचान की गई भूमि पर लिए गए ऋण को नहीं चुकाने बाबत दर्ज करवाई है, जिसमें वादी द्वारा

An
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रतिवादी को बैचान की गई भूमि का ऋण बैंक ऑफ बडौदा अलोट
में अदा कर नोड्यूज वादी को दिए जाने से प्रकरण में आपसी
राजीनामें अनुसार एफ0आर0 नम्बर 56/2025 दिनांक :-07.04.2025
से अदम वकू में स्वीकार की गई है।

प्रकरण में उपरोक्त वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों
अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद स्वयं की खातेदारी भूमि
में से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 में विवादित भूमि
खसरा संख्या 728/57 में 0.1457 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1
को चर्तुसीमा अंकन करते हुए बैचान की हुई है उसी के अनुसार
प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि का सहखातेदार बना है। बैचान से
पूर्व उक्त भूमि वादी सीताराम की एकल खातेदारी में थी, जिसमें
से विशिष्ट बैचान अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार बना है। वादी
द्वारा वादपत्र प्रस्तुती के समय केवल इकरारनामा दिनांक 18.05.
2023 पेश कर इकरारनामें में अंकितानुसार भूमि बाबत अनुतोष चाहा
है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र पृथक चर्तुसीमा का किया हुआ है, जो
कि स्वयं वादी द्वारा किया हुआ है यदि विक्रय पत्र में चर्तुसीमा
गलत की हुई थी, तो पंजीयन के समय ही वादी उक्त विक्रय पत्र
सम्पादित नहीं करवाना चाहिए था। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत
इकरारनामा दिनांक 18.05.2023 अनरजिस्टर्ड है, जिसके आधार पर
प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु पेश किया है।
विवादित भूमि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में यह
मुख्यतः देखा जायेगा कि वाद विधि द्वारा वर्जित है या नहीं।

वादी अनरजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर दावा लेकर आया
है उसने अपने वादपत्र में यह कही भी अंकन नहीं किया है कि मैंने
दिनांक 28.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय
चर्तुसीमा अंकित करते हुए कर दिया है। प्रस्तुत इकरारनामा
अनरजिस्टर्ड है व बैचान पंजीकृत विक्रय पत्र से किया हुआ है,
जिनके संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय द्वारा दिया
जाना संभव नहीं है उक्त दोनों दस्तावेजो अनरजिस्टर्ड इकरारनामा
व इकरारनामें के अपरान्त किया हुआ पंजीकृत विक्रय पत्र बाबत सुने
जाने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को
प्राप्त है।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का पुनः अवलोकन
कर व वकील पक्षकारान द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया
गया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0

अपरान्त अधिकारी
हिण्डोली

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

Reader



में जिन दशाओं में वादपत्र को नामंजूर किया जाता है उनमें एक यह भी है कि "वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है"। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इकरारनामें से प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गई भूमि पर खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का है। वादी विवादित भूमि का पूर्व एकल खातेदार काश्तकार था, उसके द्वारा दिनांक 28.05.2024 को विवादित भूमि खसरा संख्या 728/57 ग्राम डाबला में से चतुर्सीमा अंकित करते हुए भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बैचान की है, जो कि पंजीकृत विक्रय पत्र से की है। नहीं है। वादपत्र में अंकित तथ्यों अनुसार अनरजिस्टर्ड इकरारनामें/पंजीकृत विक्रय पत्र उपरांत विवादित भूमि बाबत किसी वाद को इस न्यायालय द्वारा सुना जाना विधि अनुरूप नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निष्पादित किए गए इकरारनामें के आधार पर उसकी पालना हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए।

प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद इस न्यायालय में विधि वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली